

# कार्यालय उप-संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय, नरसिंहपुर

## सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

1. संगठन कार्यो एवं कर्तव्यों का विवरण

पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग

1- संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल- दूरभाष क्र० 0755-556916

2- उप-संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय, नरसिंहपुर दूरभाष क्र० 07792-230412

कार्य – विभाग में विभिन्न स्तर पर दायित्व है प्रमुख कार्य जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को लाभ प्रदान किया जाना तथा उसमा क्रियान्वयन अधिकार संबंधी कार्यवाही म०प्र० शासन द्वारा समय समय पर जारी नियमावली एवं म०प्र० वित्तीय अधिकारी, म०प्र० पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में नियत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकार

म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधान अनुसार

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा लेखा जोखा सामिल है।

प्रावधान अनुसार।

4. कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तय किये गये मापदण्ड।

म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधान अनुसार

5. कर्मचारियों के लिये उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियम विनियम, निर्देश मेन्युअल तथा अभिलेख जो संधारित किये गये है-

शासनादेशों, व समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के प्रावधान अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग ००प्र० शासन भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के तहत अभिलेखों का संधारण किया जाना एवं रखरखाव।

6. नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों का क्रमवद्ध प्रपत्र

आय-व्यय पत्रक

7. इसके प्रबंधन तथा नीतिनिर्धारण के संबंध में जनसाधारण से विचार विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार के लिए की गई व्यवस्था का विवरण-

सूचना के अधिकारी एवं सिटीजन चार्टर के द्वारा की गई कार्यवाही हे तहत।

8. दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड , कौंसिल , कमेटी तथा अन्य निकाह जिनका गठन सलाहकार के रूप में किया गया है और ये बोर्ड, कौंसिल, कमेटी या अन्य निकाय की बैठक जनसाधारण के लिए सुलभ है और क्या इनकी कार्यवाही टीप जनता को उपलब्ध होती है-

विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तर पर सलाहकार समिति का गठन किया गया है इस समिति में मान० सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष (2), तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष (2) सदस्य है। उक्त बैठक आम जनसाधारण के लिए नहीं है और न ही जनता को कार्यवाही उपलब्ध कराई जाती है।

9. इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दूरभाष सूची—

इस समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि है।

10. इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय जिसमें नियमों में प्रावधानित मुआवजा भी सामिल है—

-----

11. इसकी प्रत्येक ऐजेन्सी को दिया जाने वाला बजट जिसमें प्लान, प्रस्तावित व्यय तथा किये गये भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है—

-----

12. अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रणाली जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण हो —

-----

13. रियायत, परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदाय किये गये हैं उनका विवरण—

-----

14. इसके पास उपलब्ध जानकारियों का विवरण जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में बनाया गया है—

-----

15. जनसाधारण को जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो सुविधायें उपलब्ध है उनका विवरण जिसमें लायब्रेरी, रीडिंग रूम के कार्य के घंटे , यदि वे कार्यरत हों तो—

-----

16. जनसम्पर्क अधिकारियों के नाम , पद नाम तथा अन्य विवरण

-----

17. अन्य जानकारियों जो निर्धारित की जावेंगी—

-----

उप—संचालक

पंचायत एवं सामाजिक न्याय, नरसिंहपुर